



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 26112/2018

सुनील कुमार त्रिपाठी

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

भारत संघ द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – गिरीश चन्द्र वर्मा, अनूप वर्मा

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल

न्यायालय संख्या – 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

1. यह याचिका निम्नलिखित मुख्य प्रार्थनाओं सहित दायर की गई है:-

"(i) परमादेश के रूप में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए, विरोधी पक्षकार संख्या 3 और 5 को, विरोधी पक्षकार संख्या 9 से 12 के स्थानांतरण और अन्य विभागों में कार्य करने के कारण उनकी भागीदारी और प्रभाव के बिना, उच्च स्तरीय स्वतंत्र एजेंसी द्वारा पूरे मामले की स्वतंत्र रूप से जांच कराये जाने का आदेश दिया जाए।

(ii) परमादेश के रूप में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए, विरोधी पक्षकार संख्या 3 और 5 को इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के अंतर्गत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने और जांच रिपोर्ट के अनुसार दोषी व्यक्तियों/अधिकारियों के विरुद्ध उनकी जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई करने का आदेश दिया जाए।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(iii) परमादेश के रूप में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए, विरोधी पक्षकार संख्या 3 से 8 को दिनांक 1.04.2019 से प्रारंभ होने वाले अगले शैक्षणिक सत्र में पुस्तकों के मुद्रण और वितरण हेतु तत्काल कार्रवाई करने एवं कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को संबंधित कक्षा में प्रवेश/प्रवेश के समय पुस्तकें और पूर्ण पोशाक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का आदेश दिया जाए।"

2. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और भारत संघ की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत के उप सॉलिसिटर जनरल श्री एस.बी. पांडेय, जिनकी सहायता विद्वान अधिवक्ता श्री देवक्रषि कुमार, को सुना।
3. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जी.सी. वर्मा ने कहा कि जिस कारण से वर्ष 2018 में जनहित याचिका दायर की गई थी, वह अब शेष नहीं है, क्योंकि राज्य द्वारा दिनांक 24.11.2025 को दायर शपथपत्र के अनुसार पाठ्यपुस्तकें आदि समय पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। हालांकि, भविष्य में यदि कोई हेतुक उत्पन्न होता है, तो याचिकाकर्ता इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए स्वतंत्र है।
4. याचिका का निस्तारण उपरोक्त निबंधनों के अंतर्गत किया जाता है।

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन रॉय)

14 जनवरी, 2026

अनुज सिंह